आदेश की कम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

26/08/21

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

विविध वाद संख्या 183/2019–2020

(भूदान पत्र–दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

भूदाता कुर्वान मियॉ, पिता–शेख मियॉ, ग्राम–मखमीलपुर, थाना–करपी, जिला–अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्ट हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान–यज्ञ–दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान–यज्ञ–दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
44	302	01 कठा	उतर–हलखेरी मियॉ दक्षिण–मुरारी मियॉ पूरब– नोखा मियॉ पश्चिम–निज

मौजा– मखमीलपुर, थाना नं०–21, थाना+अंचल–करपी, जिला–अरवल

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। दाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 843 दिनांक 31.12.2019 द्वारा अंचल अधिकारी करपी के माध्यम नोटिस तामिला कराया गया। प्रस्तावित भूमि थाना नं0 21 अरवल अंचल से संबंधित है जिसे अंचल अधिकारी अरवल से जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई। अंचल अधिकारी अरवल का कार्यालय पत्रांक 877 दिनांक 30.07.2021 द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। अंचल अधिकारी अरवल द्वारा जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि प्रस्तावित भूमि बिहार सरकार किस्म देवी स्थान कुल रक्वा 01 डी0 गैरमंजरूआ आम खतीयान में दर्ज है। जमावंदी किसी के नाम पर कायम नहीं है। वर्तमान कब्जाधारी आम जनता जो वर्तमान में भूमि का स्वरूप देवी स्थान है।

भूदान यज्ञ–दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, करपी का जॉच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। भूदान दान पत्र पर भूदाता का अंगुठा का निशान अंकित है। इदृश मियॉ तथा गिरजा सिंह गवाह का नाम अंकित है। भूदाता की ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं हुए और ना ही किसी के द्वारा आपति दर्ज किया गया।

अंचल अधिकारी अरवल द्वारा कार्यालय पत्रांक 877 दिनांक 30.07.2021 में स्पष्ट अंकित किया है कि खतीयान में विहार सरकार किस्म देवी स्थान कुल रक्वा 01 डी0 गैरमजरूआ आम दर्ज है। वर्तमान में देवी स्थान है।

अतः अंचल अधिकारी अरवल द्वारा जॉच प्रतिवेदन के आलोक में भूदाता द्वारा भूदान –दान पत्र के माध्यम से दान में दी गई भूमि को संपुष्ट करना उचित प्रतीत नही होता है। भूदान यज्ञ दान पत्र में वर्णित भूमि को असंपुष्ट किया जाता है। इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल एवं एक प्रति अंचल अधिकारी, करपी को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

26/08/21

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

26/08/21

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।